न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 07/2023 बउनवानी सुरेश रेगर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बरनाला पुत्र श्री मूल्या रेगर निवासी पलासोद तहसील बरनाला

GCMS No-2023/5

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.12.2022 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 1.86 है0 मे वर्तमान मे सरसों की फसल हो रही है मुताबिक राजस्व रिकार्ड की खातेदारी धापा पत्नी स्व0 मूल्या, रामदयाल, रामधन, रामकिशोर, सुरेश मेवाराम पुत्र स्व0 मुल्या के नाम दर्ज है। 2. उक्त भूमि पर हाल तैयार की गयी फर्द मौका रिपोर्ट गिरदावर व पटवारी द्वारा प्रार्थी एवं संयुक्त खातेदारों को उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बरनाला द्वारा जरिये जवाब नोटिस क्रमांक /आरटीआई/2022/04 दिनांक 20.2.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2022 मे चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार बरनाला द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है कि रबी की गिरदावरी का समय 1 फरवरी से 1 मार्च होने के कारण 1 मार्च के बाद बिन्दु संख्या 1 की सूचना तैयार कर भिजवादी जावेगी तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये पत्रांक 03 दिनांक 17.2.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार बरनाला द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तहसीलदार बरनाला को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना (गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाने के उपरान्त) अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested